

# पति की बेरोजगारी पर ताने मारना और बार-बार अपमानित करना मानसिक क्रूरता : हाई कोर्ट

पत्नी ने खुद कहा था- अब पति-पुत्र से कोई संबंध नहीं रखेगी, 28 साल पुराने विवाह का हुआ अंत, हाई कोर्ट में पति की अपील पर तलाक की डिक्री जारी



विलासपुरः छानीसागढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम परिवारिक विवाद में वडा फैसला सुनाया है। पति की अपील को स्वीकार करते हुए कोटे ने 28 वर्ष पुराने विवाह को समाप्त कर दिया।

विलासपुरः छानीसागढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम परिवारिक विवाद में वडा फैसला सुनाया है। पति की अपील को स्वीकार करते हुए कोटे ने 28 वर्ष पुराने विवाह को समाप्त कर दिया।

में आता है। हाई कोटे ने विवाह को समाप्त कर पति की अपील स्वीकार की। पत्नी से वकील पति ने आरोप लगाया था कि बेरोजगाल में पत्नी ने उन्हें बेरोजगार कहकर अपमानित किया और बेटों को लेकर 16 सितंबर 2020 को मायके चली गई। जाते समय उसने पत्र में लिखा था कि अब वह पति व बेटे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। हाई कोटे ने मान कि वह आचरण मानसिक क्रूरता है। फैसिली कोटे दुर्ग ने घरले तलाक की अज्ञ खारित कर दी थी, जिसे पलटते हुए हाई कोटे ने तलाक को डिक्री जारी कर दी। अदालत ने कहा कि अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है।

**यह है पूरा मामला**

भिलाई निवासी 3निल सोनमनी पंशे से वडील हैं। उन्होंने 1996 में शादी की थी। उनकी 19 साल की पह बेटी और 16 साल का एक बेटा है। पति का आरोप था कि पत्नी ने पीछवड़ी कर पायार्य पर मिलने के बाद ब्याहा बदल लिया और विवाद बढ़ने लगे। कोविड महामारी के दौरान जब अदालतें बंद होने से आय तह हो गई, तब पत्नी ने उनका साथ देके के बजाय उन्हें बेरोजगार कहकर ताने दिए। 16 सितंबर 2020 को पत्नी बेटों को लेकर मायके बेटों हुए और बेटे को छोड़ दिया। साथ ही एक पत्र भी छोड़ गई, जिसमें याकृति थी कि उअव वह पति और बेटे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नकाम रहे। 2022 में उन्होंने तलाक की अपील दुर्ग फैसिली कोटे में दी, जिसे 25 अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया गया।



मामल खारिज होने पर पति पंहुंचा हाई कोर्ट फैसिली कोटे से मामला खारिज होने पर पति ने हाई कोटे में अपील दायर की। सुनवाई में सम्मन आया कि पत्नी ने न तो फैसिली कोटे में कोई ज्यादा दिया और न ही हाई कोटे की कार्यवाही में हिस्सा लिया। अदालत ने मान कि फिरी का छोड़ा हुआ पत्र एक साक्षित करता है कि उसमें रखेंच्छा से अलग रहने का मिण्य लिया और पति की ओर से लगाए गए आरोप अप्रतिरिद्ध रह गए।

हाई कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी और सुनाया फैसला हाई कोटे जटिल रहनी दुर्ब और जरिदर अभितेन्द्र विशेष प्रसाद की खड़गी ने सुनवाई के बाद कक्ष में तथ्यों का गतल आकलन किया। इस कारण पति की अपील स्वीकार की जारी है और आकलन किया। विवाह को तलाक की डिक्री के साथ समाप्त किया जाता है। कोटे ने यह भी कहा कि महामारी के दौरान पति की बेरोजगारी पर ताने देना मानसिक क्रूरता है। 16 सितंबर 2020 का त्रै सावित करता है कि पत्नी ने खुद बोइंग एप त्रै से बदल स्वाद था कि उसमें रखेंच्छा से संबंध तेज़ने का मिण्य लिया था। पत्नी की अनुसन्धिति के कारण पति के आरोप एकत्रणा रूप से सिद्ध हो गए। अब दोनों के बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं। विवाह पूरी तरह टूट चुका है।

